2025/628

राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1 नूर मोहम्मद पुत्र जानी जाति मुसलमान निवासी पीरू का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1.अकबर खान पुत्र मुरिद खान 2. इलम दीन पुत्र गफूर जातियान मुसलमान निवासीगण सिंहार तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 3. मोसन पुत्र जानी 4. संघार पत्नी जानी 5. हासम पुत्र ताजू जातियान मुसलमान निवासीगण पीरू का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 6. शाखा प्रबंधक वीसीसीबी शाखा सेड़वा। 7. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा सेड़वा 8. तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 314 /2025

14/10/25 प्रार्थी नूर मोहम्मद पुत्र जानी जाति मुसलमान निवासी पीरू का तला तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता **श्री श्रीराम विश्नोई** ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा पीरू का तला पटवार क्षेत्र चिचड़ासर भू.अ.नि. सोनड़ी के नया खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 6 रकबा 5–9570 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के **विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा** का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा पीरू का तला पटवार क्षेत्र चिचड़ासर भू.अ.नि. सोनड़ी के नया खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 6 रकबा 5–9570 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 18/12/2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

06/11/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं प्रार्थी स्वयं उप०। चूंकि मुलवाह को जरिये राजीनामा बिक्री कर दिया है तो इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इस आवेदन [illegible] इसी स्तर पर समाप्त की [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मुलवाह के संलग्न हो।

व221 (प्रार्थी)

(वकील प्रार्थी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.01.27 12:27:50 IST
Reason: SelfAttested